

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, उच्चैन (भरतपुर)

जयसिंह बनाम गुन्नी देवी वगै०

किस्म मुकदमा दावा धारा 88,89,53,188 आर.टी.ए. नं०.....८०.....राज 2025

हुकम तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तागील में जारी हुये
17.04.2025	<p>वादी/वादीगण ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,53,188 के तहत पेश किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 20.05.2025 को पेश हो।</p> <p><i>क्रान्ति</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)</p>	
20.05.25	<p>पत्रावली पेश हुई। इन्हो वादी उमा प्राधिका करिता की नीर से इन्हो श्री मुकेश चन्द शर्मा से वादावली मय एक पत्र 01R10PR सब फाई नो 3 के साथ इस्ताबिल पेश किये जा शो भि हो। पत्रावली वादी उमा के पत्र 01R10PR दिनांक 10/6/25 को पेश हो।</p> <p><i>क्रान्ति</i></p>	
21/6/25	<p>पत्रावली जाय वादी। पार्सी के पत्र पर न्यायालय हाथ के लाल की गड्डी वादी उमा पुकल को बिडो करना चाहत है बिडो पत्र का इकामोको किया जाय। वादी के पत्र पर उमा पुकल को बिडो किये जाने की इच्छा की जाती है। पत्रावली के को जा रही वादावली इन्ही कल पर शोप की जाती है। पत्रावली जिसल मुताद हो नम्बर के को होकर इकामो उपलब्ध हो।</p> <p><i>क्रान्ति</i></p>	<p>जयसिंह</p>

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)